न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः 32/2023

प्रार्थी – राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी बनाम सोहनलाल पुत्र भैरूलाल माहेश्वरी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांकः 30/10/23

पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लूणी के पत्रांक राजस्व/2023/126 दिनांक 03.07.2023 के द्वारा प्रकरण प्रस्तुत कर ग्राम सतलाना के राजस्व रेकर्ड के खाता संख्या 375 में खातेदार सोहनलाल पुत्र भैरूलाल जाति माहेश्वरी सा.जोधपुर खातेदार के नाम खसरा संख्या 593 रकबा 3.3022 हैक्टेयर किस्म चाही. पंचम् व खसरा संख्या 594 रकबा 8.0775 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय दर्ज हैं। हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया कि खातेदार सोहनलाल पुत्र भैरूलाल जाति माहेश्वरी सा. जोधपुर द्वारा खसरा संख्या 594 में कृषि भूमि का बिना संपरिवर्तन करवाये व्यवसायिक प्रयोजन (4 हॉल बनाकर बारूद स्टोर बना रखा हैं) अर्थात गैर कृषि प्रयोजन कार्य एवं संबंधी गतिविधियां होना वक्त निरीक्षण पाया गया। इस आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत् भूमि सिवायचक योग्य होने से सिवायचक दर्ज करने के आदेश किये जाने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रार्थी को सुना जाकर प्रथम दृष्टया मामला बनना पाये जाने पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को ग्राम खसरा सतलाना के खसरा संख्या 594 रकबा 8.0775 हैक्टेयर भूमि में खुर्द–बुर्द नहीं करे व राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति आगामी आदेश तक जारी रखने के आदेश दिये गये तथा अप्रार्थी को नोटिस रजिस्टर्ड ए.डी. से जारी किये गयें।

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया अप्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सतलाना के खसरा नम्बर 593 रकबा 3.3022 हैक्टेयर किस्म चाही किस्म पंचम् एवं खसरा संख्या 594 रकबा 8.0775 हैक्टेयर में आई हुई है। इसमें खसरा संख्या 594 रकबा 8.0775 हैक्टेयर केवल 20×20

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

वर्गफीट एवं 28×13 वर्गफीट के दो हॉल में ही जो कि विस्फोटक नियम 2008 की अनुसूची 4 के भाग संख्या 1 के अनुच्छेद 3(क) से (घ) के तहत मैगनीज विस्फोटक रखने का अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर सरकारी नियमों अनुरूप बारूद स्टोर किया जाकर विक्रय किया जा रहा है तथा दो हॉलों में फसलों एवं पशुओं के चारा का संग्रह किया जाता हैं। फसलों एवं पशुओं के चारों का संग्रह बाबत् हॉल अर्थात संग्रहस्थल कृषि प्रयोजन श्रेणी में आते हैं। अप्रार्थी ने कथन किया कि बारूद स्टोर के लिये बनाये गये हॉल/गोदाम के संपरिवर्तन आदेश के लिये पूर्व में सन् 1990 में अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालय लूणी में आवेदन कर अकृषि व वाणिज्य प्रयोजन संपरिवर्तन आदेश करवाया जा चुका था परन्तु हमारे कार्यालय में पूर्व में आगजानी की घटना होने से हमारे निजी कार्यालय के समस्त कागजात् तथा क्रय विक्रय के चालान जल गये थें। इसके साथ यह संपरिवर्तन के आदेश व पत्रावली जल गयी थी। अप्रार्थी की ओर से पुनः ग्राम सतलाना के ख़सरा संख्या 594 में वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ पट्टा बाबत् जोधपुर विकास प्राधिकरण में आवेदन कर दिया गया। इस आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। प्रार्थी की ओर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत बिन्दुओं का खण्डन किया गया तथा कथन किया किया ग्राम सतलाना के खसरा संख्या 594 में रकबा 8.0775 हैक्टैयर में से मात्र 764 वर्गमीटर में ही व्यावसायिक उपयोग अर्थात बारूद स्टोर कर विक्रय किया जाता हैं जो कि विस्फोटक नियम 2008 की अनुसूची 4 के भाग संख्या 1 के अनुच्छेद 3(क) से (घ) के तहत मैगनीज विस्फोटक रखने की अनुमति ली हुई है तथा शेष सम्पूर्ण कृषि भूमि में कृषि कार्य एवं कृषि संबधी उपयोग किया जाता हैं जो कि खसरा गिरदावरी से स्पष्ट है। अप्रार्थी ने कथन किया है कि उक्त खसरें में वाणिज्यिक प्रयोजन का पट्टा प्राप्त करने हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर में आवेदन कर दिया हैं।

अतः इन तमाम परिस्थितियों के मध्यनजर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम सतलाना के खसरा संख्या 594 रकबा 8.0775 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय में मुख्यतः कृषि एवं कृषि संबंधी कार्य किया जाता है जो कि खसरा गिरदावरी रिपोर्ट संवत्

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

2076 से 2079 से स्पष्ट होता है तथा अप्रार्थी द्वारा उक्त खसरें में आंशिक वाणिज्यिक प्रयोजन कार्य के लिये इसका पट्टा प्राप्त करने बाबत् जोधपुर विकास प्राधिकरण आवेदन कर दिया है इस आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के पोषणीय नही होने से खारीज किया जाता है तथा हाजा अदालत का स्थगन आदेश भी अपास्त किया जाता है।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हों।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner